

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक:-
प्रेषक,

रा0खा0आ0 (विविध) 65/2018- 130

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
नामकुम, राँची।

राँची, दिनांक:- 14.02.2022

विषय:-

आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की धारा-16 (6-च) के आलोक में राज्य खाद्य आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट-2020-21 (01 जुलाई-2020 से जून-2021) तैयार की जानी है। इस हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची से वित्तीय वर्ष- 2020-21 एवं वर्ष- 2021-22 (1 अप्रैल 2021 31 दिसम्बर 2021 तक) निम्न बिन्दुओं के संबंध में जिलावार अद्यतन प्रतिवेदन/आंकड़ों की आवश्यकता है:-

क्र0सं0	जिला	कुपोषण उपचार केन्द्र की संख्या		SAM अति कुपोषित		MAM अति कुपोषित		Occupation rate
		केन्द्र की सं0	बेड की सं0	बालकों की सं0	बालिकाओं की सं0	बालकों की सं0	बालिकाओं की सं0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अतः अनुरोध है कि आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन हेतु उपरोक्त आंकड़ों से संबंधित वित्तीय वर्ष-2020 से 2021 एवं वर्ष-2021 से 2022 तक के जिलावार प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।